



आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
07/07/2022	<p style="text-align: center;">प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची</p> <p style="text-align: center;">एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 33/2013</p> <p style="text-align: center;">मरियानुस टोप्पो बनाम् मो0 मुसरफ अली व अन्य</p> <p>प्रश्नगत पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या-73-R15/1994-95 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। अपर समाहर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रश्नगत भूमि को छप्परबंदी घोषित किया गया था। आवेदक इस न्यायालय में लगातार अनुपस्थित है। आवेदक के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक-03.11.2015 को दर्ज की गयी थी। उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु लगातार सूचित किया गया, किन्तु दिनांक-10.01.2022, 28.02.2022, 07.03.2022, 27.06.2022 को आवेदक लगातार सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहें। अंततः उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर वाद के निष्पादन का निर्णय लिया गया।</p> <p>इस वाद में मुख्य बिन्दु प्रश्नगत भूमि के छप्परबंदी होने अथवा नहीं होने के संबंध में है। पूर्व यह विषय सभी स्तरों से सुनवाई के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय में दो बार विचाराधीन रहा है। अंततः रिट याचिका-3342/2003 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपर समाहर्ता, राँची को यह निदेश दिया गया कि वे आवश्यक दस्तावेजों को अवलोकन करते हुये प्रश्नगत भूमि के छप्परबंदी अथवा रैयती होने के संबंध में अपना निर्णय लेंगे। उक्त आलोक में अपर समाहर्ता द्वारा विस्तृत सुनवाई करते हुये उक्त भूमि को छप्परबंदी घोषित किया गया है। उल्लेखनीय है कि निबंधित पट्टे में वर्ष-1914 में प्रश्नगत भूमि को मकान-मय-सहन दिखाया गया है। इसके पश्चात् उक्त भूमि के सभी हस्तांतरण में मकान के साथ ही हस्तांतरण किया गया है। अंचल कार्यालय के समक्ष लगान निर्धारण वाद में भी मकान का ही उल्लेख किया गया है। इसी आधार पर प्रश्नगत भूमि को छप्परबंदी मानते हुये आदेश पारित किया गया है। यह स्पष्ट है कि इस मामले में भूमि को</p>	

42

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ।
	<p>छप्परबंदी घोषित करने हेतु किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। यद्यपि निबंधित बिक्री केवाला में किये गये उल्लेख के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर मकान निर्मित होने के कारण उसे कृषि योग्य नहीं माना गया है। आवेदकों के तरफ से अपने पुनरीक्षण आवेदन में वर्ष-1914 के सादा बिक्री पत्र की वैधता पर प्रश्न उठाया गया है। उक्त भूमि के खतियान में कहीं भी छप्परबंदी उल्लेखित नहीं है न ही भूमि का लगान छप्परबंदी के रूप में निर्धारित किया गया है। रैयती भूमि पर मात्र मकान निर्माण करने से भूमि का स्वरूप परिवर्तित नहीं माना जा सकता। प्रश्नगत भूमि आदिवासी रैयती भूमि है, जिस पर विपक्षी के द्वारा दखल-कब्जा किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर धारा-71-ए के द्वितीय परन्तुक के तहत मुआवजा भुगतान भी दावा किया गया था। यह उचित होगा कि उक्त दावे की समीक्षा करते हुये धारा-71-ए के द्वितीय परन्तुक के प्रावधान के तहत आवेदकों की उचित मुआवजा देने हेतु उपायुक्त द्वारा उचित आदेश पारित किया जाये। तदनुसार इस वाद को उपायुक्त के न्यायालय में प्रति-प्रेषित किया जाता है। उपायुक्त प्रश्नगत भूमि पर वर्ष-1969 के पूर्व किये गये निर्माण के संबंध में आश्वस्त होते हुये आवश्यक कार्रवाई उभयपक्षों को सुनते हुये दो माह के भीतर सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">  प्रमण्डलीय आयुक्त </p> <p style="text-align: right;">  प्रमण्डलीय आयुक्त </p>	